

13/5/24

अभिलेख उपस्थापित।
जोड़िए नामिल साक्ष है।
द्वितीय पक्ष के सदस्य सं० - 1, पृ० 2
उपस्थित। जो 03 से 06 तक अनुपस्थित।
जो 03 से 06 के विरुद्ध वारंट
निर्गत को।
अभिलेख दिनांक 24/5/24
को रखें।

M
13.05.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

24/05/24

अभिलेख उपस्थापित।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।
वीरगंज पक्ष अन्य कार्य में व्यस्त
अभिलेख दिनांक 8/6/24 को अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

08/06/24

15.06.2024

अभिलेख उपस्थापित।
थाना प्रभारी सरिया के प्रतिवेदन
के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 के
आंतिपूर्ण निष्पादन हेतु इस वाद को द्वितीय
पक्ष के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था।
लोकसभा चुनाव 2024 आंतिपूर्ण
संपन्न हो गया है तथा मतगणना का कार्य
भी आंतिपूर्ण संपन्न हो गया है, थाना
की ओर से द्वितीय पक्ष के विरुद्ध
कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
अतः न्यायहित में इस वाद
को समाप्त किया जाता है। पूर्व में निर्गत आदेश
वारंट को स्वयं निरस्त किया जा रहा है।
M
15.06.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)